अव्यासलाई और कीबीन विश्वविद्यालयीं हारा विभिन्न विधि पाठ्यकमों में विधियों का दिया जाना

3077. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या विधि और स्योग मंत्री यह बताने की क्रपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रन्तामलाई विश्वविद्यालय ग्रौर कोचीत विश्वविद्यालय हारा प्रवाचार पाठ्यक्रमों द्वारा कैचलर ग्राफ एँकेडेमिक ला तथा वैचलर श्राफ जनरल ला की डिग्निया प्रवान की जा रही हैं; यदि हां, तो क्या इन डिग्नियों से भारत के लिसी भी स्थान पर वकालत करने की इजाजा है;

् (ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा व्या है।

विधि ग्रौर स्थाय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसरःज भारहाज)ः (क) **ब्रौर (ख) भारतीय विधिज परिषद द्वारा** दी गई जानकारी के अनुसार, पत्नाचार के माध्यम से अध्ययन करके विधि में दी गुर्ड डिग्रियों को भारतीय विधिज्ञ गरिषद् द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है अत: ग्रधिवक्ता के रूप में नामांकन के योजना के निए ग्रन्नामले ग्रीर कोचीन विश्वविद्यालयों द्वारा बैचलर आफ एकेडेमिक लाज ग्रीर बेचलर ग्राफ जनरल लाज में दी गई डिग्नियों को मान्यता नहीं दी गर्द है। ऐने डिग्री धारकों को भारत में कहीं भी विधि न्यवसाय करने की अनुजा नहीं है :

हॉग्स का झायात

3078. श्री सुनील वारोंगपा: क्या वाजिय मनी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में क्षाँग्स की कुल खपत कि खपत कितनी है श्रीर कुल खपत के कितने भाग का उत्पादन देश में ही होता है तथा देश की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से श्रायात किए जाने वाले श्री भाग पर कितनी विदेशों मुद्रा का व्यथ किया जाता है;

(ख) क्या हाप्स की कुल भंग को पूरा करने के लिए इसका आयात करने की अपेक्षा देश में ही इसका अत्पादन बढ़ाने और इसके निर्यात को प्रोत्साहन दिए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

वाजिल्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जान नारी एकत की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खान-पान की पाड़ियों की उपयुक्तता प्रमाण-पत्न का जारी किया जाना

3079. श्री रशीद मसूद: क्या गृह मंत्री यह बताने को क्रपा करेंगे कि:

- (क) दिल्ली परिवहन निदेशालय द्वारा खान-पान की गडियों को उपयुक्तना ग्रमाण-पत्र कारी किये जाने के संक्ष्य में क्या नियम है;
- (ख) क्या खान-पान की गाड़ियों के लिए उपयुक्तता प्रमाण-पत प्राप्त करने के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यानायात पूजिस से अनुजा पत लेना पडता है;
- (ग) यदि हां, तो खान-पान की ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी हैं जिन्होंने सभी ग्रीपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उपयुक्तता प्रमाण-पत्न प्राप्त कर लिया है; ग्रीर
- (घ) क्या दिल्ली परिवहम निदे-शालय की निदेशालय के मुख्यालय में कार्यरन उपनिदेशक के विरुद्ध खान-पान की गाड़ियों और टैक्सियों को प्रनुज्ञा पल जारी करने में की जाने वाली श्रनियमितताश्रों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतीष मोहन देव): (क) मोटर-वाहन श्रीवितयम, 1989 की घारा 56 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1988 के